Form No-III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– जिला कलेक्टर, पाली

प्रार्थी :– बनाम **अप्रार्थीगण**

घनश्याम पुत्र शेषमल, जाति सरगरा, निवासी आनन्द नगर, पाली (राज.)

1. श्री सुरेशदत पुरोहित, जिला रसद अधिकारी, रसद विभाग, पाली (राज.)
2. श्री जितेन्द्रसिंह आशिया, प्रवर्तन निरीक्षक, रसद विभाग, पाली (राज.)
3. श्री विकास कुमार, थानाधिकारी, पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर, पाली (राज.)
4. श्री मोहनलाल पुत्र रामलाल, हेड कॉनिस्टेबल, थाना ट्रांसपोर्ट नगर, पाली (राज.)

किस्म मुकदमा :: विविध 30/2020

(आरसीएमएस नम्बर 2020/)

अन्तर्गत धारा 12 न्यायालय अवमानना अधिनियम

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.06.2020	प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 न्यायालय अवमानना अधिनियम के तहत अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के रसद विविध प्रकरण संख्या 04/2020 बअनवान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक पाली बनाम प्रबंधक नागरिक आपुर्ति रा.रा.खा. आ.नि. पाली में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2020 की अवमानना करने बाबत पेश किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 24.06.2020 को पेश हो। जिला कलक्टर, पाली	
24.06.2020	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 उपस्थित तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 4 अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 ने अवगत कराया कि निर्णय की पालनार्थ जिला रसद अधिकारी के पत्रांक रसद अभियोजन/2020/818 दिनांक 15.6.2020 के क्रम में थानाधिकारी पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर में उपस्थित हुआ उन्होंने अवगत कराया कि उक्त ट्रक को मुक्त(रिलीज) करने की कार्यवाही न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देशानुसार ही संभव हो पायेगी तथा ट्रक सुपुर्द करने में असमर्थता जाहिर की। इस बाबत जिला रसद अधिकारी महो. पाली को अवगत करा दिया था। इस प्रकार सुरेशदत्त जिला रसद अधिकारी पाली एवं प्रवर्तन निरीक्षक जितेन्द्रसिंह आसिया द्वारा न्यायालय के आदेशों की पालना में कार्यवाही की गई है उनकी मंशा अवमानना करने की नहीं रही इसलिए कार्यवाही निरस्त फरमावें। उपस्थित थाना अधिकारी ने अवगत कराया कि जब्त सुदा वाहन RJ 09 GA 1295 वाहन स्वामी श्री घनश्याम को सुपुर्द कर दिया है तथा उनकी मंशा न्यायालय के आदेशों की अवमानना की नहीं होने से अवमानना की कार्यवाही निरस्त फरमावें। हाजिर अदालत प्रार्थी श्री घनश्याम व उसके अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उनका वाहन सं. RJ 09 GA 1295 को श्रीमान के आदेश की पालना में रिलीज कर दिया है। एवं मैने प्राप्त कर लिया है लिहाजा कार्यवाही अप्रार्थीगण के विरूद्ध नहीं चाहता है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जरिये विड्रॉल निरस्त फरमावें। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के आदेशों की पालना कर दिए जाने व अवमानना की मंशा जाहिर नहीं होने तथा प्रार्थी पालना से संतुष्ट होने के कारण यह प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल की जाकर नम्बर से कम हो। जिला कलेक्टर, पाली	